REVENUE DEPARTMENT

Order

The 15th March, 1996

No. 973-R-3-96/7206.—Whereas the land described in the Haryana Government, Revenue Department notification No. 973-R-3-96/7148, dated 14th March, 1996, issued under section 6 of the Land Acquisition Act, 1894, has been declared, be needed by the Government, at public expense, for a public purpose, namely, for the construction of tehsil building and residential house in villages Pataudi, tehsil Pataudi, district Gurgaon.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the Land Acquisition Act, 1894, the Governor of Haryana hereby directs District Revenue Officer-cum-Land Acquisition Collector, Gurgaon to take orders for the acquisition of land described in the specifications appended to the declaration published with the aforesaid notification.

J. D. GUPTA,

Secretary to Government, Haryana,
Revenue Department.

राजस्व विभाग

आदेश

दिनांक 15 मार्च, 1996

संख्या 973-र-3-96/7206.- चूंकि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894, की धारा 6 के अधीन जारी की गई हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग अधिसूचना संख्या 973-र-3-96/7148, दिनांक 14 मार्च, 1996, में वर्णित भूमि, सरकार द्वारा, सरकारी दर्च पर, सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् गांव पटौदी, तहसील पटौदी, जिला गुड़गांव में तहसील पटौदी के कार्यालय भवन तथा रिहायशी मकान के निर्माण के लिए आपेक्षित घोषित की गई है।

इसलिए, अब, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894, की धारा 7 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अभिग्रहण कलक्टर, गुड़गांव को निदेश देते हैं कि उपर्युक्त अधिसूचना के साथ प्रकाशित घोषणा से संलग्न विशिष्टियों में वर्णित भूमि के अर्जन के लिए आदेश लें।

जे. डी. गुप्ता,
सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग।

राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 26 फरवरी, 1996

क्रमांक 298-ज-2-96/5231.—श्री रिछपाल सिंह, पुत्र श्री इन्दर सिंह, निवासी गांव खैडी तलवाना, तहसील महेन्द्रगढ़, जिला महेन्द्रगढ़, को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (iv) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 5149-र-III-68/4010, दिनांक 17 अक्तूबर, 1968 द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/14040, दिनांक 30 अक्तूबर 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री रिछपाल सिंह की दिनांक 2 दिसम्बर, 1994 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री रिछपाल सिंह की विधवा श्रीमती सोना देवी के नाम खरीफ, 1995 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।